बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/नि०1–148/2014 110 पटना, दिनांक: 14.03.18

कार्यालय आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आलमनगर, मधेपुरा के विरूद्ध जिलाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक 604–2/स्था० दिनांक 23.07.2014 द्वारा गठित आरोप पत्र एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक 939–2/स्था० दिनांक 15.10.2014 द्वारा गठित पूरक आरोप पत्र के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं० 96 सहपठित ज्ञापांक 578 दिनांक 13.05.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। निदेशालय के का०आ०सं०–110 सहपठित ज्ञापांक 832 दिनांक–02.05.2016 द्वारा उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी तथा निदेशालय के का०आ०सं०–96 सहपठित ज्ञापांक 578 दिनांक 13.05.2015 द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. उप विकास आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा पत्रांक 1017/ जि०ग्रा० वि०अ०, दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

3. समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शर्मा को आरोप के कंडिका 01, 02, 03, 05, 06,एवं 07 में लगाये गये आरोप से मुक्त किया गया है एवं आरोप के कंडिका संख्या 04, 08, एवं 09 में आंशिक रूप से दोषी पाया गया है। संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन निम्न है :–

(i) कंडिका 04 में लगाये गये आरोप पर संचालन पदाधिकारी का निर्णय है कि "इस संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वयं लिख गया है कि कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन ससमय भेज दिया जाता था परन्तु कभी–कभी कार्यो की व्यस्तता होने के कारण अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में बिलंब हो जाता था। इस प्रकार इस आरोप में भी वे आंशिक दोषी हैं।"

(ii) कंडिका 08 में लगाये गये आरोप पर संचालन पदाधिकारी का निर्णय है कि " आरोपी पदाधिकारी ने लिखा है कि उनके द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11 के अंतर्गत द्वितीय अपील के साथ तीन दस्तावेज जमा किया । एक दस्तावेज दंड की राशि जमा नहीं करने का प्रमाण नहीं होने के कारण उसे जमा नहीं किया गया। यह भी लिखा

गया है कि अल्प वेतनभोगी एकमुश्त (एकबार) में 1,97,200=00 (एक लाख सत्तानवे हजार दो सौ) रूपया जमा करना संभव नही था, परन्तु उनके द्वारा दिये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि अरोपी पदाधिकारी ने द्वितीय अपील में अपना पक्ष रखा परन्तु अर्थदंड के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया है। उपस्थापन पदाधिकारी ने स्वीकार किया है कि इन्होंने (आरोपी पदाधिकारी) 55 आवेदन में से 52 आवेदन पत्रों का निष्पादन ससमय किया है और 03 आवेदन पत्र कालबाधित हुआ है इसलिए इन्हें मात्र 03 के लिए दोषी मानते हुए अर्थदंड लगना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार इन्हें मात्र 03 आवेदन पत्र के लिए आंशिक दोषी माने जायेंगे।"

(iii) कंडिका 09 में लगाये गये आरोप पर संचालन पदाधिकारी का निर्णय है कि " इस संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी ने लिखा है कि श्रीमती दिपावली लहेरी पति केशव कुमार की जमीन आश्रय स्थल हल्का राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं नजरी नक्शा के आधार पर जॉचोपरान्त खरीदगी की गयी। अभी भी जमाबंदी रैयत के 5.844 एकड़ जमीन बची हुई है।

इस प्रकार अरोपी पदाधिकारी द्वारा दिया साक्ष्य अमान्य है। जिसके लिए ये आंशिक रूप से दोषी हैं।"

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। इन्होंने अपने अभ्यावेदन में निम्न बिन्दुओं को अंकित किया है :–

(i) राजस्व समन्वय समिति के बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन ससमय भेज दिया जाता था परन्तु दो बड़े अंचल आलमनगर एवं उदाकिशुनगंज प्रभार में कार्यबोझ के कारण अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में कभी–कभी बिलंब हो जाता था।

(ii) उनकी मंशा आदेश की अवहेलना करने का नहीं था बल्कि अर्थ अभाव के कारण वे राशि जमा नहीं कर पाये और उनपर आदेश की अवहेलना का आरोप लग गया।

(iii) प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 2.93 एकड़ जमीन शेष है जबकि उनके द्वारा सिर्फ 1.50 एकड़ जमीन क्रय की गई, जिस पर आज की तिथि में चौहद्दी के अनुसार बाढ़ आश्रय स्थल का प्रस्ताव है और आपत्तिकर्त्ता श्रीमती गुलाबी देवी पति स्व० बिन्देश्वरी राम भी अपने पर्चे के चौहद्दी के अनुसार दखलकार हैं।

5. श्री शर्मा के अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को दिया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को भी दिया गया था, जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के अभ्यावेदन से यह स्पष्ट होता है कि

श्री शर्मा द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में विलंब किया गया, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी एवं जमीन क्रय में नियमों का पालन नहीं किया गया। अतः श्री शर्मा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 03.10.2017 स्वीकार योग्य नही है और इनपर लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं।

6. आरोप पत्र, संचालन प्रतिवेदन एवं श्री शर्मा के अभ्यावेदन के समीक्षा से स्पष्ट होता है कि उनपर लगाए गये आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होते हैं।

7. उक्त वर्णित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पर संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आलमनगर , मधेपुरा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सुरसंड, सीतामढ़ी पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधान के तहत संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/नि०1–148/2014 636 पटना, दिनांक : 14.03.18

प्रतिलिपि :– सचिव, के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 78(नि०को०) /रा० दिनांक 27.01.2015 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/सीतामढ़ी ।

4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा/सीतामढ़ी।

5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरसंड, सीतामढ़ी ।

6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मधेपुरा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सुरसंड, सीतामढी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 14/3/18

निदेशक